लखनऊ : होमगार्ड पत्नी और बेटी की हत्या कर खुद पहुंचा थाने, गिरफ्तार

श्यामा दुलारी व पूजा।

पारिवारिक कलह में सोते वक्त फोन के चार्जिंग केबल से घोंटा गला

लखनऊ। कृष्णानगर के भोलाखेड़ा निवासी होमगार्ड रवींद्र शंकर ने बृहस्पतिवार रात पत्नी श्यामा दुलारी (55) और बेटी पूजा (32) की सोते समय मोबाइल चार्जिंग के केबल से गला घोंट कर हत्या कर दी। इसके बाद वह खुद थाने पहुंच गया। पुलिस की अब तक की जांच में पारिवारिक कलह में दोहरे हत्याकांड की बात सामने आई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

डीसीपी दक्षिणी मुश्ताक अहमद के अनुसार, रवींद्र शंकर का भोलाखेड़ा में दो मंजिला मकान है। भूतल के एक कमरे में उसकी तलाकशुदा बेटी पूजा और दूसरे में दूसरी बेटी प्रिया व पूजा की छह वर्षीय बेटी काव्या रहती हैं। पहली मंजिल पर बने कमरे में रवींद्र और उसकी पत्नी श्यामा रहते थे। पूछताछ में रवींद्र शंकर ने बताया कि बृहस्पतिवार देर रात 3 से 3:30 बजे के बीच उसने पहले जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रही पत्नी की केबल से गला घोंट कर हत्या की। इसके बाद वह पूजा के कमरे में पहुंचा और उसकी भी उसी केबल से गला घोंट कर जान ले ली। शुक्रवार सुबह छह बजे रवींद्र ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर पत्नी और बेटी की हत्या करने की सूचना दी। इसके बाद बाद वह खुद कृष्णानगर थाने पहुंच गया, जहां उसे हिरासत में ले लिया गया। संवाद

अंकित हत्याकांड : पत्नी सीमा को मिलेगी 10 लाख दुर्घटना बीमा राशि

शामली। राज्य कर विभाग ने मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत हरियाणवी गायक अंकित बालियान की पत्नी सीमा को दस लाख रुपये की बीमा सहायता राशि देने की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत धनराशि सीधे सीमा के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

एसपी एनपी सिंह ने बताया कि गांव बंती खेड़ा निवासी अंकित बालियान राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारी थे। 26 अगस्त को उनकी हत्या की गई थी। इसके बाद उनके विधिक वारिस की ओर से मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत दावा प्रस्तुत किया गया था। राज्य कर विभाग के सहारनपुर जोन के अपर आयुक्त की संस्तुति के साथ पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और विधिक वारिस से संबंधित दस्तावेज की जांच की गई। जांच में योजना के प्रावधानों के तहत पात्र मिलने पर राज्य कर विभाग ने 10 लाख रुपये की बीमा राशि को स्वीकृत किया है। संवाद

पागल कुत्ते के काटने से गाय की मौत खीर खाने वाले 98 लोगों में दहशत

पशु चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप, थाने में दी तहरीर

बदायूं। ग्राम धर्मपुर टप्पा वैश में पागल कुत्ते के काटने के बाद शुक्रवार को गाय की मौत होने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। गाय के बीमार रहने के दौरान परिवार के 18 लोगों ने उसका दूध पिया था, इसलिए मामला और गंभीर हो गया है।

बुधवार को कनागत की दावत में गांव के 80 लोगों ने उसी गाय के दूध से बनी खीर खा ली थी। दहशत के बीच दूध पीने वाले 18 लोगों ने सीएचसी पहुंचकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई है। विनोद कुमार ने बताया है कि 20 सितंबर को उसकी गाय को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। उपचार के लिए पशु चिकित्सक को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगी को भेज दिया। आरोप है कि उसने उपचार के नाम पर 500 रुपये लेकर एक इंजेक्शन लगा दिया। उचित उपचार न मिलने के कारण गाय की हालत बिगड़ती गई, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि उसका दूध पूरे परिवार ने पिया था। पीड़ित परिवार ने संबंधित पशु चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगा थाने में तहरीर दी है। संवाद

कानपुर में पकड़ीं कोडीनयुक्त सिरप की 25 हजार शीशियां, एक गिरफ्तार

कानपुर। बाबूपुरवा क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर ढकनापुरवा में बुधवार रात एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने छापा मारकर 25 हजार कोडीनयुक्त कफ सिरप की शीशियां बरामद की हैं। इस

मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बरामद माल की कीमत लगभग 2.95 करोड़ रुपये है।

एएनटीएफ कानपुर इकाई के सीओ मनोज कुमार सिंह और निरीक्षक अइनुद्दीन के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मिहिर कुमार ठाकुर ने बताया कि राजधानी इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट का मालिक कुंवर राज सिंह चड्ढा हरियाणा के गुरुग्राम का निवासी है। चड्ढा अपने ट्रांसपोर्ट के अलावा टीपी नगर में छोटे गोदामों में प्रतिबंधित पदार्थों को छिपाता है। यह माल भी 700 मीटर दूर ढकनापुरवा में आशारानी गुप्ता के मकान में बने गोदाम में छिपा रखा था। यह सिरप हरिद्वार इंडस्ट्रियल पार्क 2 शिडकुल स्थित फार्मा हब ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बना है। संवाद

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा (एआरएमबी), बुलंदशहर (डी. नं. 821200)
पीएनबी हाऊस, यमुनापुरम, बुलंदशहर-203001 | Email: CS8212@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8(6) व नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 की वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जन साधारण एवं विशेषतः ऋणकर्ता(ओं) व गारंटरों(ओं) व रेहनकर्ताओं को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूतित ऋणदाता के पास रेहन रखी गई/प्रभारित निम्न उल्लेखित अचल संपति, जिसका निर्माणात्मक/ भौतिक कब्जा इस बैंक/प्रत्याभूतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, इसे संबंधित ऋणकर्ताओं व गारंटरों रेहनकर्ताओं से बैंक/प्रत्याभूतित ऋणदाता की बकाया देय राशि की वसूली के लिए यहां निम्न उल्लेखित तालिका में उल्लेखितानुसार तिथि को **"जैसे हैं जहाँ है आधार, जैसे है जो है तथा जो कुछ वहां है के आधार पर"** बेचा जाऐगा। आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि जमा संबंधित संपतियों के प्रति निम्न तालिका में उल्लेखितानुसार है।

प्रत्याभूतित परिसंपतियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम एकाउंट का नाम ऋणकर्ता/रेहनकर्ताओं/ गारंटरों खाता का नाम एवं पता	अचल संपत्तियों का ब्यौरा	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि बी) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि सी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा तिथि डी) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/ निर्माणात्मक	ए) आरक्षित मूल्य राशि रू. में बी) ईएमडी (अंतिम तिथि व समय) सी) बोली वृद्धि राशि डी) बैंकनेट संपत्ति आईडी	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रत्याभूतित ऋणदाताओं को ज्ञात ऋणभार की जानकारी
1.	शाखा/खाता : पीएनबी ई-ओबीसी बुलन्दशहर/एआरएमबी बुलन्दशहर (डी.नं. 821200) 1. **मैसर्स सुशील कुमार कॉन्ट्रैक्टर** प्रो. श्री. सुशील कुमार (ऋणकर्ता), 44, हंस विहार, भूर, बुलन्दशहर, उ.प्र. - 203001 2. श्री. सुशील कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल शर्मा (ऋणकर्ता/मालिक), 999 ए, हंस विहार, बुलन्दशहर, उ.प्र. -202395 3. श्रीमती. चंद्रवती पत्नी श्री रामेश्वर दयाल शर्मा (गारंटर), 44, हंस विहार, भूर, बुलन्दशहर, उ.प्र. -203001 4. श्री. सुनील शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर दयाल शर्मा (गारंटर), 44, हंस विहार, भूर, बुलन्दशहर, उ.प्र. -203001	श्री सुशील कुमार, श्री सुनील कुमार और श्रीमती चंद्रवती पुत्र/पत्नी स्वर्गीय श्री रामेश्वर दयाल शर्मा के नाम पर ग्राम मोहल्ला भूर (अब हंस विहार कॉलोनी), परगना बरन, जिला बुलंदशहर में स्थित नगर निगम क्रमांक 44 वाला एक आवासीय मकान, क्षेत्रफल 126.00 वर्ग मीटर। **टाईटल डीड के अनुसार सीमाएं :** पूर्व - 18 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम - सी.के. शर्मा का प्लॉट, उत्तर - चौधरी का प्लॉट, दक्षिण - मुकेश का प्लॉट।	A) धारा 13(2) के तहत मांग सूचना: 04.11.2022 B) Rs. 23,79,507.00 + 01.10.2022 से ब्याज + अन्य शुल्क एवं प्रभार C) 21.03.2023 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs. 34.80 Lakh B) Rs. 3.48 Lakh (26.10.2026/अप. 05:00 बजे तक) C) Rs.0.25 Lakh D) PUNBOBCMOTIBAGH3	**27/10/2026** पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे	प्रत्याभूतित ऋणदाता को ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें :- 1. सम्पत्तियों की बिक्री **"जैसे हैं जहाँ है आधार, जैसे है जो है तथा जो कुछ वहां है के आधार पर"** पर की जाएगी। 2. उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किया गया है, परन्तु प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या विलोपन हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। 3. यह बिक्री प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्न अतिरिक्त शर्तों के तहत होगी। यह नीलामी बिक्री पोर्टल **https://Baanknet.com.**पर **"ई-नीलामी के द्वारा ऑनलाईन"** की जाएगी। 4. बिक्री की सामान्य शर्तों व नियमों वाली बिक्री सूचना निम्न वेबसाईटों **(1) https://Baanknet.com (2) www.pnb.bank.in.**पर उपलब्ध/प्रकाशित की गई है। 5. ईच्छुक बोलीदार/खरीददार को **https://Baanknet.com,**पर पंजीकृत करना आवश्यक होगा, ई-केवाईसी को पूरा करें, ई-वॉलेट में ईएमडी जमा करें और नीलामी की तिथि व समय से पूर्व संबंधित संपति के साथ वालेट राशि लिंक करनी होगी। अहार्य ईएमडी जमा न करवाने वाले बोलीदारों को ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाऐगी। 6. सफल बोलीदार को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस पर ईएमडी समायोजित करने के बाद बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी और शेष 75 प्रतिशत राशि को नीलामी की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करवाना होगा, अन्यथा जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाऐगा और संपति को पुनः-नीलाम किया जा सकता है। 7. खरीदार को सभी संवैधानिक देय राशि/अटेंडेंट प्रभार/पंजीकरण प्रभार/स्टांप डयूटी/कर /टीडीएस और अन्य देय राशि का वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बतलाए किसी भी बोली को स्वीकृत/निरस्त करने अथवा नीलामी को स्थगन/निलंबन/एडजर्न करने के सभी अधिकार है। **सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत संवैधानिक बिक्री सूचना**

दिनांक : 09.10.2026, स्थान : बुलंदशहर — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

Terms and Conditions applied. *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. *The interest rates, loan amount, down payment, tenure options, and EMI are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. *Some of the mentioned components of the scheme cannot be clubbed together. *The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *Offer valid until 30th Nov 2026. #Up to 10% Instant Cashback (₹2000 - ₹10000) is available on all HMSI models for EMI transactions made using IDFC Bank Credit Cards (Tenure 6 months to 24 months). #The offer is valid on credit card transactions processed through Pine Labs machines only and is applicable for one transaction per card/order during the offer period. #The Instant Cashback offer is valid until 30th Nov 2026. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122052, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: GAUTAM BUDDHA NAGAR: Parkash Honda - 9999806883; Pioneer One Honda - 8130788666; Pioneer One Honda (Sec-58) - 8130968666; Pioneer One Honda (Noida City Center) - 8130788666; Parkash Honda (Bhangel) - 7838474152; P.S. Honda (Dadri) - 9811669969; Bhagat Honda (Jewar) - 9711716890; National Honda (Chapraula) - 7042351351; **GHAZIABAD:** JKM Leela Honda - 9999767614; Hindon Honda - 9910110017; Sangam Honda (Sahibabad) - 9311051166; Om Honda (Loni) - 9312254126; Hindon Honda (Modinagar) - 08449790925; Chauhan Honda (Muradnagar) - 9897088340; JKM Leela Honda (Vijaynagar) - 8750324000; SD Honda (Kadrabad) - 7520320611; Shri Vashu Honda (Niwari) - 8445334455; Sangam Honda (Khoda Colony) - 9540651166; BK Honda (Premvihar) - 9311114333; **GREATER NOIDA:** Parkash Honda - 9971992604; Pioneer One Honda (Gaur City) - 7838950960; Shanti Honda (Kulesra) - 9582823843; Khanna Honda (Surajpur) - 9810203519; Republic Honda (Kasna) - 8368861995; **BULANDSHAHR:** Shri Masha Honda - 7351489999; Sri Ganga Honda (Anoopshahr) - 9719524751; KLA Honda (Khurja) - 7078677972; Agarwal Honda (Dibai) - 9412563721; Veer Honda (Shikarpur) - 9758097121; Shri Bhagirathi Honda (Jahagirabad) - 9927544326; Al Uzair Honda (Gulaothi) - 9997729105; **HAPUR:** JKM Gauri Honda - 09259944759; Gaurav Honda (Pilkhuwa) - 8923135611; Urvashi Honda (Dhaulana) - 9410270247.
For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in